[1]{(13–क) ''मुख्य कार्यकारी अधिकारी'' से इस अधिनियम की धारा 134 के अधीन नियुक्त पंचायत समिति या जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है;}

[2]{(13–क) "कुटुम्ब" से, एक ही पूर्वज से अवजनित, दत्तक ग्रहण सहित, सभी सदस्यों का अविभक्त कुटुम्ब, अभिप्रेत है जो ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में यथा दर्शित, स्थायी रूप में एक साथ निवास, पूजा तथा भोजन करता है;}

[3]{(13–ख) "वित्तायुक्त" से हिमाचल प्रदेश सरकार का वित्तायुक्त [4]{(अपील)} अभिप्रेत है ;}

(14) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;

(15) "ग्राम पंचायत" से इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति अभिप्रेत है;

(16) "ग्राम सभा" या "सभा" से इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित ग्राम सभा अभिप्रेत है और "सभा क्षेत्र" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन "सभा क्षेत्र" के रूप में घोषित क्षेत्र, अभिप्रेत हैं ;

(17) "भूमि" से भू–राजस्व के लिए निर्धारित भूमि अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि भी है जिसके भू–राजस्व का पूर्णतः या भागतः निर्मोचन, प्रशमन, मोचन या समनुदेशन किया गया है ;

(18) "भू–धारक" से भूमि पर निर्धारित भू–राजस्व का, यदि कोई हो, संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि का स्वत्वधारी भी है जिसके भू–राजस्व का पूर्णतः या भागतः निर्मोचन, प्रशमन, मोचन या समनुदेशन किया गया है ;

(19) "भू–राजस्व" के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर चारण के लिए उद्गृहीत तिरनी या देय चरवाहागीरी है ;

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा खण्ड (13–क) अन्तःस्थापित किया गया ।

[2]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 (2001 का अधिनियम संख्यांक 4) द्वारा खण्ड (13–क) अन्तःस्थापित किया गया और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा खण्ड (13–ख) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा खण्ड (13–ख) अन्तःस्थापित किया गया और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा खण्ड (13–ग) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।

[4] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा शब्द "(राजस्व)" के लिए अन्तस्थापित किया गया।